अनुदान संख्या 50 - गृह मंत्रालय
GRANT No. 50–MINISTRY OF HOME AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	Original	*5,00*		*6,00*	*5,36*	*–64*
पूरक	Supplementary	*1,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*64*
स्वीक्त-	Voted–					
मूल	Original	759,45,00		768,68,00	741,55,55	–27,12,45
पूरक	Supplementary	9,23,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					10,39,12
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीक्त-	Voted–			41,50,00	32,74,86	–8,75,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					10,01,65

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2712.45 लाख रु.) दिसम्बर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 923.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2712.45 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.923.00 lakhs obtained in December, 2006 and March, 2007and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	8715.00	8715.18	8403.19	–311.99
पु.	R.	0.18			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	46676.00			
पू.	S.	923.00	48416.34	47835.84	–580.50
पु.	R.	817.34			
मुख्य शीर्ष "2250" अन्य सामाजिक सेवाएं	Major Head "2250" Other Social Services				
मू.	O.	355.00			
			318.92	16.23	–302.69
पु.	R.	-36.08			
मुख्य शीर्ष "3454" जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics				
मू.	O.	12887.00			
			11656.09	11269.26	–386.83
पु.	R.	–1230.91			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	7307.00			
			6717.35	6626.53	–90.82
पु.	R.	–589.65			

(I) 772.00 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें 650.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "निर्वाचन - अन्य अनुदान - संसद और राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान होम गार्डों की तैनाती" - 400.00 लाख रु.

(I) Provision of Rs.772.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.650.00 lakhs accounted for under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants" - under the following heads:-

(A) "Elections - Other Grants - Deployment of Home Guards during the Parliament and State Assembly Elections" - Rs.400.00 lakhs - due to

होम गार्डों की तैनाती के लिए राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) "संसाधनों के बीच अंतर को पूरा करने के लिए अनुदान - स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" - 250.00 लाख रु. उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने की वजह से पांच राज्यों को अनुदान जारी न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "गृह मंत्रालय" - 209.35 लाख रु. की बचत (7505.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गृह मंत्रालय के अधीन सरकारी भवनों में बायो-मीट्रिक स्मार्ट कार्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लागू किए जाने संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के जाने के कारण हुई।

(खा) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" - 102.46 लाख रु. की बचत (1210.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्धारित भारत-पाक संयुक्त बैठक को अंतिम रूप न दिए जाने और कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2070" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "क्षेत्रीय परिषदें - अंतर्राज्यीय परिषद" - 185.97 लाख रु. की बचत (422.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपायों के कारण हुई।

(खा) "विशेष जांच आयोग - अन्य आयोग" - 176.36 लाख रु. की बचत (1536.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(गा) "अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज" - 164.12 लाख रु.की बचत (325.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नागरिक सुरक्षा महानिदेशक से अधिप्राप्ति संबंधी स्वीकृति प्राप्त न होने और मशीनरी एवं उपस्कर के लिए निविदाओं की प्रतिक्रिया में उपयुक्त बोलियां प्राप्त न होने के कारण हुई।

non-receipt of claims for reimbursement from the State Governments for deployment of Home Guards.

(B) "Grants to cover gap in resources - Narcotics Control Bureau" - Rs.250.00 lakhs - due to non-release of grants to five states owing to non-receipt of utilisation certificates.

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Ministry of Home Affairs" - saving of Rs.209.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7505.00 lakhs) was due to non-finalisation of the proposal for introduction of Bio-Metric Smart Card Access Control system in government building under the Ministry of Home Affairs.

(B) "Narcotics control Bureau" - saving of Rs.102.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1210.00 lakhs) was due to non-finalisation of the scheduled Indo-Pak joint meeting and non-materialisation of certain training programmes.

(III) Under Major Head "2070" -savings occurred under the following heads:-

(A) "Zonal Councils - Inter State Council" - saving of Rs.185.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.422.00 lakhs) was due to economy measures.

(B) "Special Commissions of Inquiry – Other Commissions" - saving of Rs.176.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1536.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.

(C) "Fire Protection and Control - National Fire Service College" – saving of Rs.164.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.325.00 lakhs) was due to non-receipt of sanction for procurement from Director General of Civil Defence and non-receipt of suitable bids in response to tenders for machinery and equipment.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2250'' - ''धार्मिक स्थलों, मंदिरों आदि का रख-रखाव - अयोध्या में अधिग्रहीत सम्पत्तियों की सुरक्षा और रख-रखाव'' के अंतर्गत 336.66 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थल पर प्रस्तावति ढांचे का निर्माण न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''जनगणना'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - अधीक्षण'' - 518.50 लाख रु. की बचत (2789.63 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और उत्तराखंड, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित जनगणना निदेशालय का गठन न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''जनगणना आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण - जनगणना आंकड़ों के संसाधन के लिए कम्प्यूटर प्रणाली'' - 181.43 लाख रु.की बचत (2911.46 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रख-रखाव का कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के स्थान पर निजी संविदाकार द्वारा पूरा किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''पृथक्करण और संकलन'' - 501.72 लाख रु.की बचत (3479.86 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''पंजीकरण, संवर्धन पद्धति, अनुसंधान और जनसंख्या अध्ययन'' - 118.88 लाख रु. की बचत (1769.94 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के भरे न जाने, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित जनगणना निदेशालय का गठन न किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(VI) पांच शीर्षों के अंतर्गत 369.47 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत से 73 प्रतिशत तक थीं।

(IV) Under Major Head "2250" - "Upkeep of Shrines, Temples etc. – Protection and Upkeep of acquired properties at Ayodhya" – saving of Rs 336.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was to due non-construction of the proposed structure at the site.

(V) Under Major Head "3454" - "Census" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Superintendence" - saving of Rs.518.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2789.63 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-constitution of proposed Directorate of Census in Uttarakhand, Jharkhand and Chattisgarh.

(B) "Computerisation of Census Data-Computer System for Processing Census Data" - saving of Rs.181.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2911.46 lakhs) was due to completion of maintenance work by the private contractor instead of Central Public Works Department.

(C) "Other Expenditure" –

(a) "Abstraction and Compilation" - saving of Rs.501.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3479.86 lakhs); and

(b) "Registration, Promotion Method, Research and Population Studies" - saving of Rs.118.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1769.94 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, non-constitution of proposed Directorate of Census in Uttarakhand, Jharkhand and Chattisgarh and economy measures.

(VI) Under five heads savings of Rs.369.47 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 30 percent to 73 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2070'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

2.(I) The above savings were partly offset by excess under major head "2070" - under the following heads:-

(का) ''आप्रवास ब्यूरो - प्रवासियों को सेवाएं'' - 173.93 लाख रु. का अधिक व्यय (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अतिरिक्त महंगाई भत्ता, कठिनाई भत्ता और राशन भत्ता बढ़ी हुई दर पर अदा किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Bureau of Immigration – Services to Migrants" - excess of Rs.173.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to payment of additional dearness allowance, hardship allowance and ration allowance at enhanced rate.

(खा) ''अन्य व्यय - आसूचना ब्यूरो'' - 771.74 लाख रु. का अधिक व्यय (922.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 39832.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अतिरिक्त महंगाई भत्ता, विशेष सुरक्षा भत्ता और राशन भत्ता बढ़ी हुई दर पर अदा किए जाने और सिविकान स्पेस सेगमेंट संबंधी मद/आपूर्तियों के लिए अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(B) "Other Expenditure - Intelligence Bureau" - excess of Rs.771.74 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.39832.00 lakhs including supplementary grant of Rs.922.00 lakhs) was due to payment of additional dearness allowance, special security allowance and ration allowance at enhanced rate and payment towards item/supplies for Civicon Space Segment.

(II) तीन शीर्षों के अंतर्गत 216.28 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 114 प्रतिशत था। इनमें दो ऐसे शीर्ष शामिल थे जिनमें सम्पूर्ण व्यय निधियों के पुनर्विनियोग से पूरा किया गया था।

(II) Under three heads excess of Rs.216.28 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 114 percent of the sanctioned provision. These included two heads where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (1001.65 लाख रु.) 875.14 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (Rs.1001.65 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.875.14 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	3750.00	2748.35	2732.65	–15.70
पु.	R.	–1001.65			

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing	400.00	542.21	+142.21

(I) 451.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 400.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''सामान्य - भूमि का अधिग्रहण - मानवाधिकार आयोग'' के अंतर्गत मानव अधिकार भवन के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से निधियों की आवश्यकता प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.451.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.400.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4059" - "General - Acquisition of Land-Human Rights Commission" - due to non-receipt of requirement of funds from Central Public Works Department for construction of Manav Adhikar Bhavan.

(II) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''सामान्य - निर्माण - राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर'' के अंतर्गत 540.06 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यस्थल पर अवैध कब्जा होने की वजह से कार्य बंद होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" - "General - Construction - National Fire Service College, Nagpur" - saving of Rs.540.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to stoppage of work owing to encroachment at the site.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - संरक्षितों के निवासों पर सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 142.21 लाख रु. का अधिक व्यय (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए अनुसार संरक्षितों के निवासों पर सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4216" - Government Residential Buildings - Other Housing - Security related works at the residences of protectees" - excess of Rs.142.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to more expenditure in respect of Security related works at the residences of protectees as communicated by the Ministry of Urban Development.